

पीएनबी ग्राम उदय - भूमि सुधार के लिए वित्त पोषण

उद्देश्य	भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए।
प्रयोजन	ऋण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दिया जा सकता है: <ol style="list-style-type: none">I. मिट्टी के उद्धार अर्थात लवणता/ क्षारीयता, जल जमाव को हटाने आदिII. हवा कटाव से मृदा संरक्षण के उपायों को और पानी के कटाव को रोकने के लिए जैसे लेवलिंग, मेंडबंदी, मेढ, सीढ़ीदार खेत, आदि की तरहIII. बंजर क्षेत्र में मौसमी फसल उगाने से भूमि की कंडीशनिंग।IV. जैविक खेती के लिए संबंधित चीजों की खरीद जैसे बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशकों, वर्मी कम्पोस्ट की तरह निवेश की, फार्म खाद (एफ़वाईएम), फल एवं सब्जी बर्बाद, खाद, आदि
पात्रता	<ol style="list-style-type: none">I. मालिक किसान और उनके स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह।I. आवेदक के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए
सुविधा की प्रकृति	मियादी ऋण
ऋण की सीमा	आवश्यकता आधारित, अधिकतम रू.100000 /- तक
मार्जिन	शून्य
सुरक्षा	फसल/ बैंक ऋण के अतिरिक्त बनाया गया आस्तियों का दृष्टिबंधक।
चुकौती	अधिकतम 1 वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 5 साल,
प्रलेखन प्रभार, प्रोसेसिंग शुल्क / अग्रिम शुल्क	शून्य